Helpline 1064 94135-02834

कार्यालय महानिदेशक भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो

(जनसम्पर्क प्रकोष्ठ)

प्रेस नोट

➢ श्रीगंगानगर में जोधपुर डिस्कॉम के सीसी बाबू को 10,000/– रुपये रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार।

जयपुर, दिनांक 07 सितम्बर, 2026। ए.सी.बी. मुख्यालय के निर्देश पर ए.सी.बी. चौकी श्रीगंगानगर इकाई द्वारा आज कार्रवाई करते हुए **सुधीर, सीसी बाबू, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर** को परिवादी की फर्म द्वारा प्रधानमंत्री सूर्यघर योजना के तहत दो पत्रावलियों में सोलर का एस.सी.ओ. (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी करवाने की एवज में **10,000/– रुपये** बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **महानिदेशक पुलिस श्री गोविन्द गुप्ता** ने बताया कि ए.सी.बी. चौकी श्रीगंगानगर को परिवादी द्वारा एक शिकायत इस आशय की मिली कि उसकी फर्म द्वारा प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत उपभोक्ताओं के सोलर सिस्टम लगवाये जाते हैं। उसकी फर्म द्वारा उक्त योजना के तहत तीन उपभोक्ताओं के सोलर लगाने की स्वीकृति हेतु आवेदित पत्रावलियों में एस.सी.ओ. (सर्विस कनेक्शन ऑर्डर) जारी करवाने की एवज में श्री सुधीर, सीसी बाबू, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर द्वारा खर्चे–पाणी/रिश्वत की मांग की जा रही है तथा रिश्वत राशि नहीं देने पर स्वीकृति जारी नहीं करने की धमकी दी जा रही है।

जिस पर एसीबी बीकानेर रेंज के **उप महानिरीक्षक पुलिस श्री नारायण टोगस** के सुपरवीजन में ए.सी.बी. श्रीगंगानगर के **अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री पवन कुमार मीणा** एवं ब्यूरो स्टाफ द्वारा ट्रैप कार्रवाई करते हुए आरोपी सुधीर, सीसी बाबू, कार्यालय सहायक अभियंता, जोधपुर डिस्कॉम, सूरतगढ़, जिला श्रीगंगानगर को परिवादी से 10,000/– रुपये बतौर रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है।

एसीबी की **अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस श्रीमती स्मिता श्रीवास्तव तथा महानिरीक्षक पुलिस श्रीमती एस. परिमला** के सुपरवीजन में आरोपी से पूछताछ तथा कार्यवाही जारी है। एसीबी द्वारा मामले में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अन्तर्गत प्रकरण दर्ज कर अग्रिम अनुसंधान किया जायेगा।

–किसी व्यक्ति के विरुद्ध ए.सी.बी. में प्रकरण (अभियोग, प्राथमिक जांच, परिवाद आदि) दर्ज होने पर संबंधित व्यक्ति ए.सी.बी. से सीधे संपर्क कर अपना पक्ष/स्पष्टीकरण प्रस्तुत कर सकता है। प्रस्तुत स्पष्टीकरण का ए.सी.बी. द्वारा विस्तृत विश्लेषण एवं परीक्षण किए जाने के उपरांत ही अनुसंधान में निर्णय लिया जाना ए.सी.बी. की कार्यप्रणाली का हिस्सा है।

यह जानकारी ए.सी.बी. के नाम/डर का दुरुपयोग कर होने वाली धोखाधड़ी आदि का शिकार होने की संभावना के संदर्भ में महत्वपूर्ण है।

भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के **टोल फ्री नम्बर 1064 एवं व्हाट्सएप हेल्पलाईन नम्बर 9413502834 पर 24X7** सम्पर्क कर भ्रष्टाचार के विरूद्ध अभियान में अपना महत्वपूर्ण योगदान दें। एसीबी आपके वैध कार्य को करवाने में पूरी सहायता करेगी।